न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

प्रार्थना–पत्र सं० : 112 सन 2018

अनवान :–

1. कलावती पुत्री भोपालाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायला

बनाम

1. सुन्दर देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर
2. गंगाजल पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. केसराराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. बृजाराम पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 12/07/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही सांगठिया के खाता संख्या 9/8 के खसरा न0 118 की 11.6220हैक , 122 की 6.2730हैक , 127 की 7.3980हैक , 144 की 8.4220हैक , 145 की 0.7080हैक , 226 की 9.0670हैक , 282 की 12.0010हैक , 339 की 0.0630हैक कुल 55.5540हैक भूमि में से भोपालराम के नाम 1/4 हिस्सा भूमि सायला के दादा तेजाराम से प्राप्त शुद्वा भूमि है ।

तेजाराम के फोत होने के बाद परिवार का मुखिया हाने के नाते 1/4 हिस्सा भूमि सायला के पिता भोपालाराम के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 108/23 दिनांक 27.09.1980को दर्ज हुई है।

उक्त भूमि भोपालाराम के नाम कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हुई है इसमें सायला व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 जो भोपालाराम के वारिस हे का अपने पिता के साथ बहिब 1/4– 1/4 हिस्सा के जन्म से हकदार/खातेदार काश्तकार है लेकिन भोपालराम ने सायला के हितो का हनन करने के इरादे से दिनांक 30.05.2018 को वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज करवा दी जो सायला के हकों के मुकाबले में शुन्य है।

प्रतिवादी संख्या 5 भोपालाराम ने विधि विरूद्व तरीके से सायला के हितो को हडपने के लिये तथा गोपीराम के प्रभाव में आकर फजी तरीके से बिना किसी आधार के गैरसायल न0 1 ता 4 के पक्ष मे दानपत्र करवा दिया जबकि भोपालराम का तो केवल 1/4 हिस्सा भूमि ही होती है जबकि समस्त भूमि का दानपत्र करवा दिया अपने हकों से अधिक भूमि का दानपत्र करवाने का कोई अधिकार नही था हकों से अधिक भूमि का करवाया गया दानपत्र शुन्य है।

वर्तमान में दानपत्र के आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है दानपत्र शुन्य एवं हकों के अधिक भूमि का करवाया गया है जो सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है किन्तु गैरसायल न0 1 ता 4 अपने नाम से वाद भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर रहन बेय करने पर उतारू है यदि ऐसा हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है और मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये सायला गैरसायल न0 1 ता 4 को पाबन्द करवाने की अधिकारी हैं

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे की वह रोही मोजा सांगठिया के खाता संख्या 9/8 की कुल 55.5540हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि को रहन बेय नही करे रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 ता 4 को रजिस्ट्रर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर सायला के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही सांगठिया के खाता संख्या 9/8 की कुल 55.5540हैक भूमि में से भोपालाराम के नाम 1/4 हिस्सा भूमि सायला के दादा तेजाराम से प्राप्त शुद्वा भूमि है ।

तेजाराम के फोत होने के बाद परिवार का मुखिया हाने के नाते 1/4 हिस्सा भूमि सायला के पिता भोपालराम के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 108/23 दिनांक 27.09.1980को दर्ज हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि भोपालराम के नाम कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हुई है इसमें सायला व प्रतिवादी संख्या 6 ,7 जो भोपालराम के वारिस हे का अपने पिता के साथ बहिब 1/4– 1/4 हिस्सा के जन्म से हकदार/खातेदार काश्तकार है लेकिन भोपालराम ने सायला के हितो का हनन करने के इरादे से दिनांक 30.05.2018 को वाद भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम से दर्ज करवा दी जो सायला के हकों के मुकाबले में शुन्य है।

प्रतिवादी संख्या गोपरीम ने विधि विरूद्व तरीके से सायला के हितो को हडपने के लिये तथा गोपीराम के प्रभाव में आकर फजी तरीके से बिना किसी आधार के गैरसायल न0 1 ता 4 के पक्ष मे दानपत्र करवा दिया जबकि भोपालराम का तो केवल 1/4 हिस्सा भूमि ही होती है जबकि समस्त भूमि का दानपत्र करवा दिया अपने हकों से अधिक भूमि का दानपत्र करवाने का कोई अधिकार नही था हकों से अधिक भूमि का करवाया गया दानपत्र शुन्य है।

वर्तमान में दानपत्र के आधार पर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है दानपत्र शुन्य एवं हकों के अधिक भूमि का करवाया गया है जो सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है किन्तु गैरसायल न0 1 ता 4 अपने नाम से वाद भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर रहन बेय करने पर उतारू है यदि ऐसा हो जाता है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होती है और मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये सायला गैरसायल न0 1 ता 4 को पाबन्द करवाने की अधिकारी है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वकील सायला की एकपक्षिय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही सांगठिया के खाता संख्या 9/8 के खसरा न0 118 की 11.6220हैक , 122 की 6.2730हैक , 127 की 7.3980हैक , 144 की 8.4220हैक , 145 की 0.7080हैक , 226 की 9.0670हैक , 282 की 12.0010हैक , 339 की 0.0630हैक कुल 55.5540हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम बतोर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

सायला के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 108 रोही मोजा सांगठिया के अनुसार पूर्व में वाद भूमि तेजाराम पि0मु0 मोतीराम के नाम से दर्ज थी जिससे देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि भोपालाराम को प्राप्त हुई है अर्थात विरास्तन से भूमि भोपालाराम का प्राप्त हुई है।

सायला का कथन है कि भोपालाराम को वाद भूमि तेजाराम के देहान्त होने पर प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि भोपालाराम को प्राप्त होने के कारण सायला का भी वाद भूमि में हक हिस्सा था किन्तु भोपालाराम ने समस्त भूमि का दानपत्र गैरसायल न0 1 ता 4 के पक्ष में करवाया गया था जो सायला के हकों के मुकाबले शुन्य है।

सायला का कथन वाद मे साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होगा की भोपालाराम को समस्त वाद भूमि का दानपत्र करवाने का अधिकार था या नही एवं सायला का वाद भूमि में हक हिस्सा है या नही प्रथम दृष्टया भोपालराम को वाद भूमि विरास्तन से प्राप्त होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के पक्ष में पाया जाता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण गैरसायल न0 1 ता 4 कभी भी वाद भूमि को रहन बेय या अन्य किसी भी प्रकार से खूर्द बूर्द कर सकते है यदि गैरसायल न0 1 ता 4 वाद भूमि का रहन बैय करते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति हो सकती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायला के पक्ष में पाया जाता है।

वाद भूमि में सायला का कोई हक हिस्सा है या नही वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में साबित होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/7/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner